




69



माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/ 15 निगरानी

सं. 4016-III-15

दिलीप पिता शोभालाल गुप्ता उम्र- 52 वर्ष
धंधा- वकालत निवासी- 71 अशोकमण्डी मार्ग
आगर रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

.....प्रार्थी




—विरुद्ध—

- 1- मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा-पटवारी, हल्का नंबर 38, कस्बा उज्जैन
जिला उज्जैन (म.प्र.)
- 2- संतोष पिता स्व. शोभालाल गुप्ता, उम्र-48वर्ष,
निवासी- 71, अशोक मण्डी मार्ग, आगर रोड़
उज्जैन (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

Jitendra Swami Agi.
16.12.15

वकालत
16.12.15


16/12/15

विषय - न्यायालय तहसीलदार महोदय, उज्जैन (श्री सुनील पाटील) के प्रकरण क्रमांक 1/अ 68/15-16 में पारित आदेश दिनांक 28/11/2015 एवं 30/11/2015 के विरुद्ध धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

भूमिका

1. यह कि प्रार्थी के पिता शोभालाल आत्मज् मांगीलाल, निवासी-आगर रोड़, उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन व श्री ए.के.सिंह, ए.डी.एम. जिला उज्जैन व भारत चर्म उद्योग सहकारी समिति लि. उज्जैन के विरुद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्रमांक 21-अ /2005 था जिसमें न्यायालय तहसीलदार न्यायाधीश तर्ग-1





राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4016-तीन/15

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संदेश परिहार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.18 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	